COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 / जिला-सिवनी

सुरेश कुमार पिता सुकाली गोंड,
निवासी ग्राम मटिया टोला, थाना कान्हीवाड़ा
तहसील व जिला सिवनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 30/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के नाम से ग्राम सहजपुरी प.ह.नं. 31/36 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 128/2, 123/2, 252/2, 258/2 रकबा क्रमशः 0.20, 0.75, 0.64 एवं 0.15 कुल रकबा 1.76 हैक्टर स्थित है । आवेदक उक्त भूमि में से भूमि खसरा नं. 252/2 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि

सुरेश विरूद्ध

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3412–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित सहजपुरी प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 252/2 रकबा 0.64 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने यह मानते हुए कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विक्रय करने के उपरांत आवेदक के पास 5.00 एकड़ से कम भूमि बचेगी जो संहिता में विहित नियमों के विपरीत है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन निरस्त किया है कि आवेदक के पास 5.00 एकड़ भूमि शेष नहीं बच रही है, परंतु आदेश पारित करने के पूर्व उन्होंने प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा किया गया है । कलेक्टर द्वारा ना तो तहसीलदार के प्रतिवेदन पर विचार किया गया और ना ही इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय कर अपनी अन्य भूमि से लगी हुई 0.45 एकड़ भूमि क्रय करेगा । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक की पैत्रिक भूमि है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदित भूमि को विक्रय कर अपनी अन्य भूमि से लगी हुई 0.45 एकड़ भूमि क्रय करेगा जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3412—एक/16 — जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नही है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—09—16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम भटेखारी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37, 39/2 रकबा 0.58, 0.28 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।	
	1— यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016—17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	
	2— केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	
	3— उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	

XXXIX(a[redacted])-II

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3412-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 151 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया तथा उन्हें उक्त आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण क्रमांक निग0 3412-एक/16 में दिनांक 29-9-16 को पारित किए गए अंतिम आदेश के पैरा 2 की 10 वीं लाइन में सिवनी के स्थान पर बरघाट तथा अंतिम पैरा की चौथी लाइन में टंकण की त्रुटिवश " ग्राम सहजपुरी प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 252/2 रकबा 0.64 हैक्टर " के स्थान पर " ग्राम भटेखारी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37, 39/2 रकबा 0.58, 0.28 हैक्टर " टाइप हो गया है, अतः उक्त त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं मूल प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 29-9-16 को पारित आदेश के पैरा 2 की 10 वीं लाइन में बरघाट के स्थान पर सिवनी तथा आदेश के अंतिम पैरा की चौथी लाइन में " ग्राम भटेखारी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37, 39/2 रकबा 0.58, 0.28 हैक्टर के स्थान पर " ग्राम सहजपुरी प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 252/2 रकबा 0.64 हैक्टर " पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । सदस्य	